

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
संख्या:- **843** / 1जी- FP/UK/ROAD/20084/2016 देहरादून: दिनांक: **06** सितंबर, 2016

सेवा में,

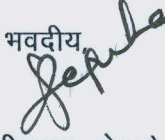
अपर सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4,
उत्तराखण्ड शासन।

विषय:- जनपद-नैनीताल में विकास खण्ड हल्द्वानी के ग्राम लछमपुर (नकैल) को मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु कच्चे मार्ग का सुधार/डामरीकरण एवं सूखी नदी पर 60 मी० स्पान स्टील गर्डर सेतु निर्माण हेतु-1.08 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव शासन को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है। उक्त प्रस्ताव की हार्ड कापी की प्रति इस कार्यालय के पत्रांक- **824** दिनांक **06-09-16** के द्वारा पूर्व में ही भारत सरकार को प्रेषित की जा चुकी है। (प्रति संलग्न) अतः जनहित में प्रस्ताव सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

भवदीय,


(एस०टी०एस० लेप्चा)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

संख्या / 1जी-FP/UK/ROAD/20084/2016 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
2. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, नैनीताल।
3. वन संरक्षक, पश्चिमी कुमाऊँ वृत्त, हल्द्वानी।
4. अपर सचिव लोक निर्माण विभाग/पीएमजीएसवाई, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
5. जिलाधिकारी, नैनीताल।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।
7. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल।

(एस०टी०एस० लेप्चा)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नाम: जनपद- जनपद-नैनीताल में विकास खण्ड हल्द्वानी के ग्राम लछमपुर (नकैल) को मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु कच्चे मार्ग का सुधार/डामरीकरण एवं सूखी नदी पर 60 मी० स्पांन स्टील गर्डर सेतु निर्माण हेतु-1.08 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

1. टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना हेतु नैनीताल वन प्रभाग में 1.08 है० आरक्षित वन भूमि, का हस्तान्तरण प्रस्तावित है जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त मोटर मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी तथा वन संरक्षक, पश्चिमी कुमाऊँ वृत्त, नैनीताल द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की गई है। अतः जनपद-नैनीताल में विकास खण्ड हल्द्वानी के ग्राम लछमपुर (नकैल) को मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु कच्चे मार्ग का सुधार/डामरीकरण एवं सूखी नदी पर 60 मी० स्पांन स्टील गर्डर सेतु निर्माण के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर:

नाम व पदनाम: (एस०टी०एस०लेप्चा भा.व.से.)

प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षक

एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

सरकारी मोहर:

तिथि : 06/09/2016

स्थान : देहरादून

कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक- 824 FP/UK/ROAD/20084/2016 देहरादून दिनांक: 06 सितम्बर, 2016

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, एफ0आर0आई0, देहरादून।

विषय:- जनपद-नैनीताल के अन्तर्गत ग्राम-लछमपुर (नकायल) को मोटर से जोड़ने हेतु कच्चे मार्ग का सुधार/डामरीकरण एवं सूखी नदी पर 60 मीटर स्पान स्टील गार्डर सेतु के निर्माण हेतु 1.08 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

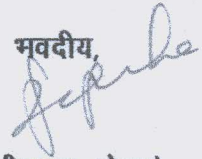
(ऑनलाईन फाईल संख्या FP/UK/ROAD/20084/2015)

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या- MISC/II/ROC/COP/1/2013/1846 दिनांक 06-11-2015.

महोदय,

भारत सरकार के उक्त पत्र के अनुपालन में विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की हार्ड कापी की एक प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। अतः अनुरोध है कि प्रकरण पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति निर्गत करने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न:- यथोपरि।

भवदीय,


(एस0टी0एस0 लेप्चा)

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या : 824 FP/UK/ROAD/20084/2016 दिनांकित।

प्रतिलिपि : अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



(एस0टी0एस0 लेप्चा)

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी